

ग्राहक सेवा में.....

“अग्रगामी से अग्रणी, उत्कृष्ट से सर्वोत्कृष्ट”



पश्चिम मध्यरेल

WEST CENTRAL RAILWAY

भोपाल मंडल

BHOPAL DIVISION

रेलवे लाइन की प्रमुख गश्तों के लिए मार्गदर्शन

इंजीनियरिंग विभाग
पश्चिम मध्य रेलवे। भोपाल मण्डल द्वारा जारी।

रेलवे लाइन की प्रमुख गश्तें

रेलवे लाइन पर आवश्यकतानुसार की जाने वाली प्रचलित गश्तें निम्नानुसार हैं।

- क) चाबी वाले की दैनिक गश्त।
- ख) असाधारण वर्षा या तूफान के समय गैंग की गश्त।
- ग) लम्बी वेल्डित पटरियों के लिये ग्रीष्मकालीन गश्त।
- घ) लम्बी वेल्डित पटरियों के लिये शीतकालीन गश्त।
- ङ) वर्षा काल के दौरान रात की गश्त।
- च) नागरिक अशान्ति के दौरान और वी.आई.पी. विशेष रेल गाड़ियों के संचालन के लिये सुरक्षा गश्त।
- छ) वल्लरेबल स्थानों पर चौकीदार।

चाबी वाले की दैनिक गश्त

प्रतिदिन अपने इलाके में पडने वाले रेलपथ के प्रत्येक भाग का पैदल निरीक्षण करेगा।

जहाँ यातायात कम और असतत हो, ऐसे सेक्शनों में (मुख्य इंजीनियर द्वारा जारी किये गये विशेष अनुदेशों के अनुसार) अंतराल बढ़ाकर दो दिन में एक बार निरीक्षण किया जायेगा।

इकहरी लाइन होने की स्थिति में, चाबी वाले ने जिस रेल की दिशा में पहले लाइन का निरीक्षण किया है लौटते समय उसकी विपरीत दिशा में लाइन का निरीक्षण करेगा।

दोहरी लाइन पर सुबह के समय चाबी वाला एक पथ से जाते हुए निरीक्षण करेगा एवं लौटते समय दूसरी पथ से निरीक्षण करेगा। गैंग की छुट्टियों तथा विश्राम के दिन, वह नियमित कार्य करेगा और सप्ताह में एक दिन का विश्राम लागू रोस्टर के अनुसार करेगा। चाबी वाले की छुट्टी के दिन, अनुपस्थिति में या बीमारी की अवधि में एक वरिष्ठ गैंगमैन को स्थायी चाबी वाले के स्थान पर लगाया जाना चाहिए।

रोस्टर ड्यूटी के घंटे सर्दियों में इस तरह समायोजित किये जाने चाहिए कि रेल पथ का निरीक्षण बिल्कुल सुबह में ही एक चक्कर किया जा सके, ताकि रेल या वेल्ड में हुई टूटन।

चाबी वाले का सामान

- 1 दो लाल झंडी
- 2 एक हरी झंडी
- 3 10 नग पटाखे
- 4 एक फ्लेंज वे गेज (यदि मानव रहित समपार हो तो)
- 5 एक की हेमर
- 6 एक स्पाइक हेमर
- 7 एक फिश बोल्ट पाना
- 8 फिश बोल्ट
- 9 अतिरिक्त फिटिंग
- 10 एक रेल क्लोजर (30 एमएम)
- 11 जहाँ लागू हो वहाँ इलास्टिक रेल क्लिप की ग्रीसिंग हेतु आवश्यक सामग्री।

चाबी वाले के कर्तव्य

चाबीदार नियमित निरीक्षण एवं निरीक्षण के दौरान मिलने वाली सामान्य त्रुटियों के निराकरण के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य निम्नानुसार हैं।

यूएसएफडी द्वारा लगाये गये ओ.बी.एस डिफेक्ट पर प्लेट बंधने तक विशेष ध्यान देगा।

मानव रहित क्रॉसिंग पर चेक रेल की सफाई एवं निर्धारित फ्लेंज व क्लियरेंस बनाये रखेगा।

गैर पी.आर.सी. स्लीपर वाले बीट में निरीक्षण एवं फिटिंग्स को कसने के सामान्य कर्तव्य के अलावा प्रतिदिन दो टी.पी. के बीच आने वाले प्रत्येक बाल्ट एवं फिटिंग को टाइट करेगा एवं गुम हो गयी या खराब फिटिंग को पूरा करेगा।

पी.आर.सी. स्लीपर वाले बीट में निरीक्षण एवं बंधनों को कसने के अपने सामान्य कर्तव्य के अलावा एक छोर से 20 स्लीपर प्रतिदिन के दर से ई.आर.सी. एवं इंसर्ट के छेदों की ग्रीसिंग का कार्य करेगा।

वरि.खंड अभि. (रे.प.) के निर्देशानुसार, एक गैंगमैन की सहायता से रेल के छोरों का निरीक्षण एवं फिश प्लेट ग्रीसिंग का कार्य करेगा।

एल.डब्ल्यू.आर वाले क्षेत्रों में पखवारे में एक बार एस.ई.जे का आइलिंग/ ग्रीसिंग का कार्य करेगा।

एस.ई.जे एवं स्लीपरों की बंधनों की जाँच करेगा एवं यदि आवश्यक हो तो उसे कसने का काम।

अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रेल्वे की जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या अनाधिकृत निर्माण यदि कभी हो तो इसकी सूचना तुरन्त मेट/वरि.खंड अभियन्ता (रे.प.) को करेगा।

सप्ताह में एक दिन मेट के स्थान पर गैंग का कार्य प्रभारी होगा एवं उस दिन मेट चाबी वाले का कार्य एवं उसकी ड्यूटी करेगा।

निर्देश मिलने पर वह रेल डाली कार्य का सुपरविजन करेगा। इस हेतु उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

वर्षाकालीन गश्त

मंडल इंजिनियर ऐसे खंडों, जिन पर मानसून के दौरान सामान्यतः गश्त लगाई जाती हैं, का पता लगायेंगे और उन्हें अधिसूचित करेंगे। प्रत्येक खंड के लिये, मंडल इंजीनियर, वर्ष की अवधि निर्धारित करेंगे जब सामान्य मानसून गश्त लगायी जानी है।

स्थानीय परिस्थिति के कारण यही आवश्यक हो तो निर्धारित तारीखों के अलावा भी रात्री गश्त शुरू कराई जा सकती हैं। मंडल इंजीनियर प्रत्येक खंडों के लिये गश्त चार्ट तैयार करेंगे गश्त वाले की पैदल चाल 3 कि.मी./घंटा निर्धारित हैं।

गश्तवाले द्वारा की जाने वाली गश्त की अधिकतम दूरी एक दिन में सामान्यतः 20 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रत्येक गश्त इलाके की अधिकतम लम्बाई 5 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कमिक वीटो के मध्य कम से कम आधे घंटे का विश्राम वांछनीय है यदि रेल गाड़ियाँ अधिक है और गश्त वाले के एक सेट से सभी गाड़िया कवर नहीं हो रही हो तो गश्त वाले का दूसरा सेट लगाया जाये मनसून शुरू होने से पहले, गश्त चार्टों की अपेक्षित प्रतिया सर्वसंबंधित को दी जानी चाहिए।

गश्त वाला गश्त चार्ट में दिये हुए समयानुसार गश्त पुस्तिका के साथ अपनी ड्यूटी करेगा। जिस गश्त वाले को क्षेत्र स्टेशन पर शुरू/समाप्त होता है वह अपनी गश्त पुस्तिका पर स्टेशन मास्टर से पहुंचने/प्रस्थान समय दर्ज करायेगा।

गश्त वाला फिर अपने इलाके की गश्त करेगा और उसके अंत पर पहुंचकर अगले गश्तवाले से अपनी पुस्तिका बदलेगा और फिर उसी मार्ग से वापस लौटेगा।

यदि कोई गश्तवाला अपने इलाके के अंत पर पुस्तक लेने के लिये दूसरे गश्त वाले को न पाये तो उसे तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक वह मिल नहीं जाता।

गश्त वाले के उपस्कर

- 1) एक डंडा
- 2) 15 सेमी वर्गाकार नम्बर प्लेट
- 3) 10 नग पटाखे
- 4) दो ट्राई कलर हाथ सिग्नल लेम्प
- 5) सुरक्षात्मक वस्त्र
- 6) एक माचिस
- 7) दो लाल झंडियां एवं एक हरी झंडी (दिन में)
- 8) टिन के बक्से में गश्त पुस्तिका
- 9) एक 3 सेल टार्च
- 10) सीटी
- 11) थैला

लम्बी वेल्डिंग पटरियों के लिये ग्रीष्मकालीन गश्त

प्रत्येक सेक्शन के लिए गश्त की अवधि मुख्य इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जायेंगे।

जहां आवश्यक हो गश्त चार्ट बनाये जाये।

जब रेल का तापमान $T_d+20^{\circ}\text{C}$ से अधिक हो जाये तब भी गश्त लगवाई जाये।

इकहरी लाइन सेक्शन पर एक गश्तवाला प्रति 2 कि.मी. पर एवं दुहरी लाइन सेक्शन पर एक गश्तवाला प्रति 1 कि.मी अप तथा डाउन मार्ग पर लगाया जाना चाहिए

गश्तवाले के उपस्कर

- 1) दो लाल झंडिया
- 2) झंडियों के लिये एक डंडा (स्टाफ)
- 3) 10 नग पटाखे
- 4) केन.ए.बाउल

एवं लौटते समय दूसरी रेल दोहरी लाइन पर वह इस प्रक्रिया को अप और डाउन लाइन पर बारी-बारी से दोहरायेगा।

सतर्कता पूर्वक गश्त करते हुए दिन के अधिकतम गर्म समय के दौरान रेल में ऍठन को विशेष रूप से देखेगा।

ऍठन दिखाई देने पर ऍठन के आगे पीछे 100 स्लीपरों का परिक्षण, फ्लोटिंग कंडीशन को जानने हेतु तुरन्त करे।

फ्लोटिंग कंडीशन ज्ञात होन या वास्तविक रूप से बकल हुए रेलपथ मालूम होने पर गश्तवाला तुरन्त लागू नियमों के अनुसार लाइन की सुरक्षा करें। रेल पथ की सुरक्षा करने के बाद गश्तवाला, कीमेन, गैंगमेट वरि.खंड अभियन्ता (रेलपथ) को तुरन्त इसकी सूचना देगा जो यातायात को तुरन्त चालू करने के लिए मरम्मत करेंगे।

लम्बी वेल्डिंग पटरियों के लिये शीतकालीन गश्त

शीतकालीन गश्त रेल तापमान $T_d-30^{\circ}\text{C}$ से कम होने पर शुरू की जायेगी।

शीतकालीन गश्त की अवधि तथा सेक्शन मुख्य इंजीनियर द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

जहां आवश्यक हो गश्त चार्ट तैयार किये जायेंगे

इकहरी लाइन सेक्शन पर एक गश्तवाला प्रति 2 कि.मी. पर एवं दुहरी लाइन पर एक गश्तवाला प्रति 1 कि.मी. अप एवं डाउन मार्ग पर लगाया जाना चाहिए

गश्तवाले के उपस्कर

- 1) 10 नग पटाखे
- 2) दो ट्राईकलर हेण्ड सिग्नल लैंप
- 3) एक माचिस
- 4) दो लाल एवं एक हरी झंडी
- 5) एक तीन सेल की टार्च
- 6) एक स्टाफ
- 7) नम्बर प्लेट

इकहरी लाइन पर गश्तवाला धीरे-धीरे एक रेल पर एक दिशा में चलेगा एवं लौटते समय दूसरी रेल पर चलेगा। दोहरी लाइन पर वह इस प्रक्रिया को अप तथा डाउन लाइन पर बारी-बारी से दोहरायेगा। सतर्कतापूर्वक गश्त करते हुए रेल/वेल्ड टूटने, एवं एस.ई.जे. का गेप का निरीक्षण करेंगा।

रेल/वेल्ड टूटे पाये जाने पर या एस.ई.जे. में निर्धारित गेप से अधिक गेप होने पर तुरन्त लागू नियमों के अनुसार लाइन की सुरक्षा करें। रेल पथ की सुरक्षा करने के बाद गश्तवाला, कीमेन, गैंगमेट वरि.खंड अभियन्ता (रेलपथ) को तुरन्त इसकी सूचना देगा जो यातायात को तुरन्त चालू करने के लिए मरम्मत करेंगे।